कार्यालय, जिला परिषद् कैमूर (भभुआ)

जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016 से संबंधित

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016 के नियोजन से संबंधित सभी विषय यथा (जिला परिषद् माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक/ माध्यमिक संगीत/नृत्य/ललित कला एवं उच्च माध्यमिक संगीत) के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपत्ति निराकरण के उपरांत मेधा सूची एन.आई.सी. के बेबसाईट www.kaimur.bih.nic.in एवं नियोजन कोषांग/जिला परिषद् कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर दिया गया है।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार पटना के पत्रांक 2064 दिनांक 23.12.2016 के आलोक में प्रकाशित मेधा सूची में सम्मिलित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु प्रशिक्षित अभ्यर्थी एवं माध्यमिक संगीत/नृत्य/ललीत कला तथा उच्च माध्यमिक संगीत के अभ्यर्थी को दिनांक 17.01.2017 के पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक **इण्टरस्तरीय उच्च विद्यालय भभुआ" स्थित जिला परिषद् नियोजन कोषांग "** में मूल प्रमाण पत्रों की जांच/मिलान हेतु आमंत्रित किया जाता है।

3. प्रमाण पत्र जांच/मिलान में आमंत्रित किए गये अभ्यर्थियों के निर्धारित तिथि एवं निर्धारित अवधि में अनुपस्थित रहने पर नियोजन का दावा समाप्त समझा जायेगा।

4. प्रमाण पत्र जांच/मिलान में बुलाये जाने का तातपर्य अंतिम नियोजन न समझा जाय। पूर्ण जांचोपरान्त विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को आयोजित काउन्सेलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण रोस्टर एवं मेधा अंक के अनुसार चयन होने पर नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. जांच/मिलान के दौरान वैध अभ्यर्थी की पहचान हेतु आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैनकार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि मूल में साथ लाना सुनिश्चित करेगें।

6. विषयवार प्रकाशित मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ जांच/मिलान हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें। प्रमाण पत्रों के जांच/मिलान के समय उपस्थापित किए जाने वाले प्रमाण पत्रों का विवरण निम्नवत् हैः–

1. मैट्रिक– अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक प्रति में स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. इण्टर– अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक प्रति में स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
3. स्नातक– अंक पत्र सभी खण्ड, मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक प्रति में स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. स्नातकोत्तर– अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक प्रति में स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
5. बी0एड0– अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र की मूल प्रति एवं एक प्रति में स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
6. शिक्षक पात्रता परीक्षा– मूल प्रति एवं एक प्रति में स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
7. जाति प्रमाण पत्र– मूल प्रति एवं एक प्रति में स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
8. निवास प्रमाण पत्र– मूल प्रति एवं एक प्रति में स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
9. यदि अभ्यर्थी दिव्यांग हैं तो दिव्यागता का प्रमाण पत्र मूल प्रति एवं एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
10. यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो इससे संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
11. नवीनतम एक पासपोर्ट साईज फोटो ग्राफ।
12. आवेदन पावती रसीद/निबंधित डाक पावती रसीद की छायाप्रति।
13. माध्यमिक संगीत/ललीत कला/नृत्य के सभी खण्डों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र का मूल एवं एक प्रति स्व0अ0 छायाप्रति।
14. उच्च माध्यमिक संगीत के सभी खण्डों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र का मूल एवं एक प्रति स्व0अ0 छायाप्रति।

उपरोक्त सभी कागजातों (Documents) को अच्छे किस्म के फलाई लिफ में क्रमवार उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। फलाई लिफ के उपरी भाग पर लाल मार्कर पेन से अभ्यर्थी अपना नाम, पता, पावती क्रमांक (Receipt No), विषय का नाम आदि अंकित करेगें।

उप विकास आयुक्त
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, कैमूर (भभुआ)